तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
10/12/19	[illegible] मार्ग को चालू करवा स्थापित करवाने के संबंध में कोई कार्यवाही प्रारंभिक नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। हस्ताक्षर निषेधाज्ञा आदेश दि० 04/11/2016 को भी अपील निगरानी की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बरखास्त के बाद हो। हुक्म खुले न्यायालय में सुनाकर संलग्न शुमार बाद रहे।

प्रीतम

लाइब्रेरियन

रामकरण

उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह (टोंक)